be fixed in rupees and would be rescheduled and repaid in annual instalments over a period of 45 years. This rescheduled portion would carry no interest. It will also have no protection against any fluctuation in the value of the rupee for a period of 5 years. Thereofter; it will be indexed to the SDR if the average annual depreciation of the rupee exceeds 3 per over this 5 year period. Similar reviews will be conducted at the end of every 5 year period.

The non-rescheduled portion of the debt will be the amount in rupees corresponding to the conversion of the rouble debt at the exchange rate as on 1-1-1990. This amount would henceforth be denominated in rupee and repayments of the principal and interest on this portion of the debt would be effected by India in accordance with the schedule in force for each of the relevant inter-Governmental credit agreements. The rupee payments in respect of principal and interest of this non-rescheduled portion of the debt would, however, be protected by adjusting the rupee amounts in line with future changes in the rupee value of the SDR basket of 5 currencies.

The existing arrangemtnt of using the credit repayments for export of Indian goods and services to Russia will continue.

(c) The outstanding rouble debt as on 1-4-92 was about Roubles 9871 million. In accordance with the agreement, this amount converted at the exchange rate prevailing on 1-4-92 comes to Rs. 31342 crores. The same outstanding principal converted at the exchange rate prevalling on 1-1-1990 comes to Rs. 19660 crores. Thus the principal outstanding of Rs. 19660 crores will continue to be paid with interest in accordance with the existing schedule of payments while Rs. 11682 crores will be rescheduled over 45 years.

आम आदमी की क्रय शक्ति का बढ़ाया जाना

85. **श्रीमती सुषमा स्वराज :**
श्री वीरेन जे० शाह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत वर्ष की तुलना में चालू वित्तीय वर्ष में सामान्य मूल्य-वृद्धि की दर में कमी आई है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि देश में खाद्यान्न, दूध और फलों जैसे दैनिक उपयोग की उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्य आम आदमी की पहुंच से लगभग बाहर हो गये हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार आम आदमी, विशेषकर गरीबी-रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले व्यक्तियों की क्रय शक्ति में वृद्धि हेतु दैनिक उपयोग की वस्तुओं के मूल्य में कमी लाने संबंधी कोई नीतिगत निर्णय करेगी; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) जी, हां। मुद्रा-स्फीति की वार्षिक दर पिछले वित्तीय वर्ष के अंत में 13.6 प्रतिशत से तेजी से गिर कर 6 जनवरी, 1993 को 7 प्रतिशत रह गई।

(ख) से (ङ) उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों की वृद्धि दर में भी सामान्यत: गिरावट आई है। 23 जनवरी, 1993 को समाप्त होने वाले सप्ताह के लिए अनाज और खाद्य तेलों की कीमतों में भी पिछले वर्ष के तदनुरूप सप्ताह की तुलना में क्रमश: 1.5 प्रतिशत और 7.5 प्रतिशत गिरावट आई। चालू

वित्तीय वर्ष में फल और सब्जियों की कीमतों में 1991-92 की तदनुरूप अवधि में हुई 12 प्रतिशत और 9 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में केवल 6 प्रतिशत और दूध में 9.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। उपभोक्ता वस्तुओं की मूल्य वृद्धि में गिरावट से, आम आदमी की क्रय शक्ति का अवक्षय नियंत्रित हो गया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली और पूर्ति प्रबंध को सुदृढ़ करके निर्धनों को आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता में सुधार करने के लिए भी कदम उठाए गए हैं। सरकार की चल रही नीति पहले से मध्यावधि आर्थिक विकास और रोजगार की गति तेज होगी पूर्ति की स्थिति और आय में परिणामी सुधार से आम आदमी को स्थायी लाभ पहुंचने की आशा की जाती है।

ग्रामीण ऋण-माफी योजना हेतु निर्दिष्ट धनराशि

86. **डा० जिनेन्द्र कुमार जैन :**
श्री वीरेन जे० शाह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत वर्षों के दौरान ग्रामीण ऋण राहत योजना के अंतर्गत सरकार ने कतिपय धनराशि संवितरित की है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान इस योजना के अंतर्गत कुल कितनी धनराशि का ग्रामीण ऋण माफ किया गया;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस संबंध में चालू वित्तीय वर्ष के लिए 1500 करोड़ रुपये की धनराशि आबंटित की गई थी और जनवरी, 1993 तक उसमें से केवल 250 करोड़ रुपये संवितरित किये गये; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और शेष धनराशि संबंधित संस्थाओं में कब तक संवितरित कर दी जाएगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद') : (क) से (घ) फरवरी, 93 की स्थिति के अनुसार कृषि एवं ग्रामीण ऋण राहत (ए० आर० डी० और) योजना के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों ने कुल 7760.96 करोड़ रु० की ऋण राहत प्रदान की है। अब तक भारत सरकार ने बजट प्रावधानों (वर्ष 1990-91) के दौरान 1500 करोड़ रुपए, वर्ष 1991-92 के दौरान 1425 करोड़ रुपए, वर्ष 1992-93 के बजट से 250 करोड़ रुपए) में से 3175 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। वर्ष 1992-93 के प्रावधान से शेष 1250 करोड़ रुपए की राशि अभी जारी की जानी है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने बैंकों से उनके द्वारा दी गई राहत का शत-प्रतिशत सत्यापन करने के और उन पात्र हिताधिकारियों से संबंधित हिस्से को छोड़कर पुनरीक्षित दावे प्रस्तुत करने के लिए कहा है। बैंकों से अंतिम दावा विवरणों के प्राप्त होने के बाद ही आगे की राशि जारी किये जाने पर विचार किया जायेगा।

बैंकों द्वारा प्रदत्त ऋण

87. **डा० जिनेन्द्र कुमार जैन :**
श्रीमती सुषमा स्वराज :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अप्रैल-दिसम्बर, 1992 की अवधि के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा की गई धन राशि पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान जमा हुई धन-राशि की तुलना में अधिक है जबकि बैंकों द्वारा प्रदत्त ऋणों की धनराशि गत वर्ष की तुलना में कम हो गई है;